

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



प्रवेश नियम

शैक्षिक—सत्र 2018–19

सम्बद्ध महाविद्यालयों
एवं
स्ववित्त पोषित संस्थानों हेतु
प्रवेश नियमावली

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र—2018–2019

महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
 - (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
 - (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाईन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निश्चक्ताता, अंग—भंग हेतु (कुल 5 प्रतिशत शासनादेश 2016 के अनुसार) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व—सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तोउनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04–06–2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016–17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।
 - (ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाईन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौंठे चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक ([link](#)) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समरत प्रविष्ट छात्रों की सम्पुर्ण रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।

- subject in three years of UG. Maximum marks or practical or desired subject in three years of UG and calculate percentage without rounding off, at least upto two decimal points.
5. Without affecting the admission category, a flat 5% deduction from the Merit Index would be made in case of admission to the PG courses (whenever applicable), if a subject has not been pursued as one of the main subjects at the UG level and requested for admission in that particular subject at the PG level. The other subjects/course eligibilities listed for admission to a PG course will also be subjected to that 5% deduction.
 6. For taking admission in M.A. in Hindi/Urdu/English/Assamese, the concerned subject should have been pursued at the U.G. level.
 7. Unless specified, no candidate shall be allowed to take admission in any PG courses without passing the 10+2/12 or 11+2+3 pattern.

नोट:-

1. प्रदेश प्रांतीय मंड़ी अधिकारी ने अपना लिया कि उसके करारात 100 वाले ही वे नमूने विद्युत की दृष्टि अंतर्गत आवश्यकतावाले कामों के लिए।
2. शिक्षण संगठन विश्वविद्यालय, जलविद्यालय, अंग्रेजी ने कामों के कामों विद्युत की दृष्टि 100 वाले तक ही अपना 3.30 वाले तल कामों के लिया दिया।
3. प्रदेश विद्यालयीं में जहाँ भौतिक कामों की ओर 100 वाले ही लागू किया जाये।
4. प्रदेश विद्यालयों वाले परीक्षा वार्षिक को आमतम लिखित की दृष्टि अपनाया जाना चाहिए जो जलविद्युत कामों की दृष्टि द्वारा अपनाया जाना।
5. नियन विद्यालयों की शासक वित्तीक अधिकारी 2006/2007 के समय से यह ही लागू जाना वाले के विचारण की जानीहो और अधिकारी कर जी जाए। यह किसी कारणशील लिया जाना चाहिए जो इसके लिये विद्यालयीं वाले जाना ही जानीहो।
6. विद्यालयों की विधिवाली जल अन्य विद्यालय विवरादेव www.vidyavardhak.org पर उल्लिखित जायेगी।
7. यह नियन से अद्य विद्यालयों की जानीहो वाले ने आजवासी लूप से प्रवेश करा लिया है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यालयों की जानीहो वाले ने इस परिवर्तन कर दिया जानीहो।
8. विद्यालयों की जानीहो वाले परीक्षा वार्षिक कामों के लिया विद्यालयों वाले द्वारा दिए जानीहो विवरादेव हो जाए।

कुलसचिव

प्रतिलिपि—

1. प्रांतीय विद्यालय, सांस्कृत विद्यालय, विद्यालय, दृष्टि विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय।
2. विद्यालय विद्यालय की विद्यालयीं विद्यालयीं की विद्यालयीं विद्यालयीं।
3. विद्यालय विद्यालय विद्यालयीं की विद्यालयीं विद्यालयीं की विद्यालयीं विद्यालयीं।
4. विद्यालय विद्यालयीं विद्यालयीं विद्यालयीं की विद्यालयीं विद्यालयीं।
5. विद्यालय विद्यालयीं विद्यालयीं की विद्यालयीं विद्यालयीं।
6. प्रांतीय विद्यालय।

कुलसचिव